कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर(म0प्र0)

–: अधिसूचना :–

क्रमांक 578/एक–23–1/2017 जबलपुर दिनांक 23 फरवरी 2017

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 2951/21–ब(दो)/2016 दिनांक 28.11.2016 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा जिला जबलपुर में नोटरी के निम्नलिखित रिक्त 25 नवीन पदों पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित अर्हताधारी, इच्छुक स्थानीय अधिवक्ताओं से मेमोरियल्स आमंत्रित किये जाते हैं :–

क्रमांक	जिला	तहसील	नवीन आबंटन
01.	जबलपुर		10
02.		सिहोरा	04
03.		पाटन	03
04.		मझौली	03
05.		कुण्डम	01
06.		शहपुरा	01
07.		कटंगी	01
08.		पनागर	02
		कुल पद	25

:: आवश्यक अर्हता ::

1. कम से कम 10 वर्ष का विधि व्यवसायी के रूप में अनुभव होना आवश्यक है (अधिवक्ता संघ का प्रमाण पत्र संलग्न करें)।

2. जिला का स्थानीय निवासी होना चाहिये (प्रमाण पत्र संलग्न करें)। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करें।

3. मेमोरियल्स नोटरी नियम–1956 के नियम–4(3) के प्रावधानों के अंतर्गत मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रबंधक, वणिक और ऐसे स्थानीय क्षेत्र के दो प्रमुख निवासी जिसमें आवेदक नोटरी के रूप में व्यवसाय करना चाहता है, के द्वारा प्रतिहस्ताक्षर अभिप्रमाणित होना आवश्यक है।

4. मेमोरियल 30 दिवस के अंदर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए।

5. विलम्ब से प्राप्त एवं अपूर्ण मेमोरियल ग्राहय नहीं किये जायेंगे।

6. पेपरलैस स्कीम के क्रियान्वयन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फार्म पर ई–मेल एड्रेस एवं मोबाइल नंबर अंकित करावें।

23.2.17

(के.के.त्रिपाठी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जबलपुर म.प्र.

पृष्ठा.क्र. 578 / एक–23–1 / 2017 जबलपुर दिनांक 23 फरवरी 2017

प्रतिलिपि :–

01. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि जिला जबलपुर में नोटरी के रिक्त 10 नवीन पदों, कुण्डम हेतु नवीन 01 पद एवं पनागर हेतु 02 नवीन पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हताधारी, इच्छुक स्थानीय अधिवक्ताओं से मेमोरियल्स प्राप्त कर 30 दिवस के अंदर कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

02. अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ, सिहोरा, जिला–जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि तहसील सिहोरा हेतु नोटरी के रिक्त 04 नवीन पदों, मझौली हेतु 03 नवीन पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हताधारी, इच्छुक स्थानीय अधिवक्ताओं से मेमोरियल्स प्राप्त कर 30 दिवस के अंदर कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

03. अध्यक्ष, तहसील अधिवक्ता संघ, पाटन, जिला–जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि तहसील पाटन हेतु नोटरी के रिक्त 03 नवीन पदों, शहपुरा हेतु 01 नवीन पद एवं कटंगी हेतु 01 नवीन पद पर नियुक्ति हेतु अर्हताधारी, इच्छुक स्थानीय अधिवक्ताओं से मेमोरियल्स प्राप्त कर 30 दिवस के अंदर कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

04. प्रभारी अधिकारी, नजारत–अनुभाग, जबलपुर / सिहोरा / पाटन की ओर म.प्र.शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 28.11.2016 की प्रतिलिपि प्रेषित कर अनुरोध है कि अधिसूचना न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने तथा चस्पानगी प्रतिवेदन प्रेषित करने का कष्ट करें।

जिला रजिस्ट्रार,
कार्यालय–जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जबलपुर म.प्र.